

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़
 ब्लॉक 4 डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छोगो)
 ☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / सा.स्था-03 / 187 / 2018 / 11472 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/03/19
 // आदेश //

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9-14 / 2015 / 25-1 नया रायपुर दिनांक 17 अक्टूबर 2017 द्वारा मंडल संयोजक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अधीनस्थ (तृतीय वर्ग अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम 2011 के नियम 6, 8, तथा अनुसूची 2 एवं 3 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम की प्रावीण्य सूची के आधार पर मंडल संयोजक के रिक्त पदों पर निम्नानुसार कालम नं. 02 में चयनित अभ्यर्थियों को मंडल संयोजक के पद पर पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 पर (वेतन बैण्ड रूपये 5220-20200 ग्रेड वेतन 2800) उनके नाम के सम्मुख कालम नं. 7 में दर्शाए गए विकासखंडों में आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/माता/ पति का नाम	वर्ग	चयनित वर्ग	पता	पदांकित विकासखंड का नाम	पदस्थापना का जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
01	प्रतीक वर्मा	प्रभात वर्मा	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	म.नं.-14, सेक्टर-ए, विजयपूरम कॉलोनी सरकण्डा बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड - 495001	पोडीउपरोड़ा	कोरबा
02	गजेन्द्र धुर्डे	पाण्डुरंग नामदेव धुर्डे	अ.पि.व.	अनारक्षित (मुक्त)	अब्दुल कलाम वार्ड नं. -40 लेम्पस के सामने हाटकचोरा, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.) पिन कोड - 494001	फरसगांव	कोण्डागांव
03	प्रदीप कुमार पटेल	भैयालाल पटेल	सामान्य	अनारक्षित (मुक्त)	व्या.नं.-29 ब्लॉक-6 सेक्टर-3, कांशीराम नगर, रायपुर छ.ग. पिन कोड - 492001	गरियाबंद	गरियाबंद
04	सतीश चन्द्रवंशी	शिव कुमार	अ.पि.व.	अनारक्षित (मुक्त)	म.नं.-26 चंद्रवंशी पारा, चारभाठा खुर्द पो.-पाण्डातराई, जिला-कबीरधाम छ.ग. पिन कोड - 491559	छूरा	गरियाबंद

4/2018/11472

05	पूजा ब्रह्मभट्ट	इन्द्रकुमार ब्रह्मभट्ट	सामान्य	अनारक्षित (महिला)	द्वारा—रमेश सिंह, सिंह हाउस आदर्श कॉलोनी, पुराना हाईकोर्ट रोड बिलासपुर जिला—बिलासपुर छ.ग. पिन कोड — 495001	कटघोरा	कोरबा
06	प्रकृति सिंह	संदीप सिंह	सामान्य	अनारक्षित (महिला)	मु.पो.—हरदी एस. जिला—जांजगीर—चांपा छ.ग. पिन कोड — 495668	लुण्डा	सरगुजा
07	अंकिता तिवारी	सुरेश्वरनाथ तिवारी	सामान्य	अनारक्षित (महिला)	म.नं.—385 राजमोहिनी वार्ड नं.—12, पावर हाउस के पास मु.पो.—राजमोहिनी जिला—सरगुजा छ.ग. पिन कोड — 497001	सीतापुर	सरगुजा
08	पारेश्वर कुर्रे	पंचराम कुर्रे	अनु.जा.	अनु.जाति (मुक्त)	ग्राम—छतौना, घासीदास चौक, आरंग पो.—मंदिरहसौद, जिला—रायपुर, छ.ग. पिन कोड — 492101	अंतागढ़	कांकेर
09	रूपेश बंजारे	जामलाल बंजारे	अनु.जा.	अनु.जाति (मुक्त)	वार्ड नं.—12, सतनामी पारा, किरारी गोढ़ी, पो.—बिटकुली, जिला—बिलासपुर छ.ग. पिन कोड — 495224	सोनहत	कोरिया
10	श्वेता	टेश्वरराम	अ.पि.व.	अ.पि.व. (महिला)	म.नं.—262, बड़ेपारा, कबीरचौक, मु.पो.—जयसकर्का, जिला—कांकेर, छ.ग. पिन कोड — 494337	दुर्गकोंदल	कांकेर
11	विरेन्द्र कुमार कंवर	मुकुन्द सिंह कंवर	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	म.नं.—एम—618, आदर्श नगर, कुशमुन्डा, जिला—कोरबा छ0ग0 पिन कोड — 495454	प्रतापपुर	सूरजपुर
12	सिद्धार्थ खैरवार	शिवप्रसाद खैरवार	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (मुक्त)	म.नं.— एन.एफ.—209, सीएसईबी कॉलोनी, कोरबा पूर्व, कोसाबाड़ी कोरबा, पो.—कोरबा, जिला—कोरबा, छ.ग. पिन कोड — 495677	बैकुण्ठपुर	कोरिया

गोपनीय

13	अजय सिंह राठौर	जे०एस० राठौर	सामान्य	अनारक्षित निःशक्त (श्रवणबाधित)	म.नं.-डी 25, शुभम विहार ओम जौन मंगला, पो.-मंगला, जिला-बिलासपुर छ.ग. पिन कोड - 495001	रामानुजनगर	सूरजपुर
14	नीलम उइके	पुरन्दनलाल उइके	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (महिला)	ग्राम-रावांडीह, वार्ड नं.-21, डोंगरगांव रोड, पेण्डरी, जिला-राजनांदगांव छ.ग. पिन कोड -491441	भानुप्रतापपुर	कांकेर
15	संजय कुमार पोटावी	रूपजी राम पोटावी	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. निःशक्त (अस्थिबाधित)	द्वारा - चेतन पोटाई, तहसीलपारा नारायणपुर, मु.पो.-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर छ.ग. पिन कोड -494661	नारायणपुर	नारायणपुर

नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार हैं :-

1. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई) तथा अर्द्धशासकीय सेवा नियम 1980 के नियम 12 के अनुसार उम्मीदवार की सेवाएं किसी भी समय किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की लिखित सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन व भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी।
2. उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात एक माह का नोटिस दिए बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किए बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त के अधीन देय रकम संबंधित से भू-राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।
3. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी तथा परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार नियमित नियुक्ति मानी जावेगी।
4. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर का पालन किया गया है।
5. उम्मीदवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-प्रत्र उपस्थिति दिनांक से 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना होगा। वेतन का पहली बार आहरण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा।
6. उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति स्थान पर पद भार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान में कार्यालयीन दिवस पर संबंधित सहायक आयुक्त, आदिवासी

विकास को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते हैं, उनका नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।

9. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा समस्त दस्तावेजों का सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करने की लिखित सूचना 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को दी जावेगी।
10. अर्हता प्रमाण पत्र/दस्तावेज त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दी जावेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूटरचित या फर्जी पाया जाता है तो उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जावेगा।
11. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त अनुप्रमाणन (चरित्र सत्यापन) प्रमाण पत्र में यदि आपराधिक गतिविधियों पाई जाती हैं अथवा शासकीय सेवा से अयोग्य घोषित किया जाता है तो उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी। इस आशय का शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे तथा सेवा पुस्तिका में इसकी प्रविष्टि की जावे।
12. आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने की स्थिति में संबंधित को बिना कोई पूर्व सूचना दिए सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही भी की जा सकेगी।
13. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार, नियुक्त अभ्यर्थी के लिए नवीन परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।
14. यह नियुक्ति रिट याचिका WP (C) No. 591/2012 गुरुलघासी दास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
15. पदस्थापना स्थान से आगामी दो वर्ष तक स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।

(डॉ डॉ सिंह)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, रायपुर छ.ग.

पृ. क्रमांक / सा.स्था—03 / 187 / 2018 / 11473 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/03/19

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर छ.ग।
2. सचिव, ४०ग० शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर छ.ग।
3. प्रभारी अधिकारी छात्रावास एवं आश्रम शाखा/गोपनीय शाखा/विभागीय जॉच शाखा मुख्यालय अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला ४०ग०।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ४०ग०।
6. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला ४०ग०।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला ४०ग०।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, ४०ग०।
9. संबंधित श्री/श्रीमती/कु. को पालनार्थ।


 आयुक्त
 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
 अटल नगर रायपुर छ.ग.